

27/11/2024 2.4.24

मालाराम

५
५
५

प्राचीनता की ओर से पत्रावली नलब
 का प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली आप
 पेशी में ली गई। प्राचीनता की ओर से
 प्रार्थना पत्र धारा 212 RTI Act का एक बिंदु
 का प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्राचीनता को
 हटा गया। तथा प्राचीनता में निवेदन किया
 कि भविष्य में प्रार्थना पत्र / वाद पत्र ~~को~~
 आगे नहीं चलाएगा। इन प्रकार के मध्य
 आपकी राजीनामा हो गया है। प्राचीनता
 की पहचान कही जा रही मालाराम पुनिया ने
 की। धार: प्राचीनता का ^{बिंदु} प्रार्थना पत्र धारा
 212 RTI Act स्वीकार किया जाकर इस
 स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
 को सल सुभाह होकर दाखिल इफ्तार होकर
 नम्बर से कम हो।

2.4.24

सहायक कलेक्टर, सांचीर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचीर)

